न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 137/2021 दायर दिनांकः 26/07/2021

उनवान

1. संतोष बाई आयु 59 वर्ष पत्नि स्व0 राजमल जाति अहीर निवासी छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीया

बनाम

1. देवेन्द्र कुमार आयु 25 वर्ष पुत्र राजमल जाति अहीर निवासी छैलाबेल पोस्ट खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. सोना बाई आयु 28 वर्ष पुत्री राजमल पत्नि अरविन्द जाति अहीर निवासी छैलाबेल हाल निवासी कुन्जैड खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू जिला बारां।
4. शाखा प्रबन्धक महोदय दी कोटा सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा अटरू (बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 शाखा अटरू) जिला बारां राज0
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :—

वादीया :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री भगवान दास तिवारी। प्रति0क्रम.1 व 2

विद्वान अभिभाषक श्री हरिश चन्द्र हाडा। प्रति0क्रम 4

आदेश

दिनाकः 13.09.2021

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर0टी0एक्ट के तहत इस आश्य का पेश किया कि वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता राजमल के नामलाती खाते की आराजी मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 वाके ग्राम एवं माल छैलाबेल पटवार हल्का नम्बर तहसील अटरू जिला बारां राज0 की खाता संख्या 111 का ख0नं0 191/674 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 192 का रकबा 0.24 है0, ख0नं0 242 रकबा 0.05 है0 ,ख0नं0 447 रकबा 1.28 है0, ख0नं0 544 रकबा 5.87

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:33 IST
Reason: SelfAttested

है0, ख0नं0 7 रकबा 2.63 है0, कुल किता 6 का कुल रकबा 10.12 है0 आराजी स्थित है। जिसमें वादिया का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वादिया के पति एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता की मृत्यु दिनांक 13.02.2013 को हो चुकी है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में स्वर्गीय राजमल का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता स्थित है जिसमें वादिया एवं प्रतिवादी 1 व 2 का हिस्सा 1/6, 1/6, 1/6 बनता है। इस प्रकार वादिया का वद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में कुल हिस्सा 2/6 बनता है। इसलिए वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता के हिस्से 1/2 की आराजी पर वादिया एवं प्रतिवाी क्रम 1 व 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर कब्जे काश्त व हिस्से अनुसार रखाता विभाजन किया जावे। जिसकी वादिया अधिकारी एवं नॉलिशी है। वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी का शामलाती खाता हो की वजह से आये दिन कृषि विकास कार्य करवाने, बैंक से ऋण लेने के लिए वादिया को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पडता है। इस कारण वादिया ने वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर राजमल का फौती इन्तकाल खुलवाकर हिस्से अनुसार खाता विभाजन करने बाबत प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से निवेदन किया तो प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने वादिया से स्पष्ट मना कर दिया और लड़ाई झगडा पर आमादा हुये। बिना सहायता न्यायालय वादिया के पति एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता स्व0 राजमल के वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में हिस्सा 1/2 की आराजी पर वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाना एवं खाता विभाजन करवाया जाना संभव नही है। यदि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में राजमल का हिस्सा 1/2 की आराजी पर वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर खाता विभाजन कर पृथक से खाते दर्ज नही की गई तो वादिया को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नही है तथा वादिया को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। अस्तु वादिया वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन करवाकर कब्जे काश्त के अनुसार अपने हिस्सा 4/6 की आराजी खाते पृथक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 25.06.2021 को वादिया द्वारा प्रतिवादी क्रम 1, 2 से स्व0 राजमल का फौती इन्तकाल खुलवाकर खाता विभाजन कराने का निवेदन करने तथा अंतिम बार दिनांक 23.07.2021 को उनके द्वारा फौती इन्तकाल खुलवाकर खाता विभाजन की स्पष्ट मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त आराजी ग्राम छैलाबेल तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार प्राप्त है। वादिया एवं स्व0 राजमल ने वाद पत्र की मद नं. 1 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:33 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 3 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा अटरू एवं प्रतिवादी क्रम 4 दी कोटा सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि0 शाखा अटरू (बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 शाखा अटरू) जिला बारां राज0 की शाखा से कृषि ऋण ले रखा है। इसलिए बैंको को प्रतिवादी क्रम 3 व 4 आवश्यक पक्षकार दर्ज किया गया है। बाद खाता विभाजन बैंक ऋण का नोट वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते पर दर्ज किया जावे। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने तथा वाद खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 5 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद उचित न्याय शुल्क पर एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमाई जावेः–

(अ) वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी में राजमल का हिस्सा 1/2 की आराजी पर वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को हिस्सा 1/6, 1/6, 1/6 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर व वादिया के दर्ज हिस्सा 1/2 कुल हिस्सा 4/6 पृथक से कब्जे काश्त के अनुसार वादिया के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीया को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। ज्ञात वारिसान यानी वादियां एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा राजीनाम पेश कर कथन किया गया कि वाके ग्राम एवं माल छैलाबेल पटवार हल्का खुरी में खाता संख्या 111 का कुल किता 6 का रकबा 10.12 है0 आराजी वादिया एवं उसके पति तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता स्व0 राजमल कि दर्ज खाता स्थित है जिससे वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1, 2 निम्न प्रकार से स्वेच्छा से आराजी का बंटवारा करवाने के राजीनामा प्रस्तुत कर रहे है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:33 IST
Reason: SelfAttested

1. वादिया संतोष बाई पत्नि स्व0 राजमल जाति अहीर सा देह के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
544	5.87 है0	बरानी–2	41.09
किता 1	रकबा 5.87		लगान 41.09

2. प्रतिवादी क्रम 1 देवेन्द्र कुमार व प्रतिवादी क्रम 1 सोनाबाई पुत्रान राजमल जाति अहीर निवासी सा. दे हके हिस्से में निम्न आराजी रहेगी–

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
191/674	0.05 है0	माल–2	0.50
192	0.24 है0	माल–2	2.40
242	0.05 है0	बरानी उत्तम	0.80
447	1.28 है0	माल–1	15.36
7	2.63 है0	माल–1	31.56
किता 5	4.25 है0		50.62

अतः माननीय न्यायालय में वादिया एवं प्रतिवादी क्रम राजीनामा तस्दीक फरमाने की कृपा करें।

प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। प्रतिवादी क्रम 4 की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं 1 में ग्राम एवं माल छैलाबेल तह0 अटरू जिला बारां में भूमि स्थित होना स्वीकार है। वाद पत्र की गद नं. 2 जिस प्रकार लिखी गई है, स्वीकार नहीं हैं। वाद पत्र की मद नं0 3 जिस प्रकार लिखी गई है, स्वीकार नहीं हैं। वाद पत्र की मद नं0 4 जिस प्रकार लिखी गई है, अस्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं0 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार नहीं हैं। वाद पत्र की मद नं0 6 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 7 में वर्णित तथ्य वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि पर कृषि ऋण पक्षकारान द्वारा ले रखा होना स्वीकार है, शैष विवरण अस्वीकार है। इसलिए जब तक प्रतिवादी क्रम 4 शाखा प्रबंधक दी कोटा सेन्ट्रल को ओपरेटिव बैंक बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा अटरू की बैंक का ऋण मय ब्याज अदा नही हो जाता तब तक पक्षकारान माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की कोई कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र की [illegible] कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 10 कानूनी है। वाद पत्र में चाहा गया [illegible], अस्वीकार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:33 IST
Reason: SelfAttested

–:विशेष कथन:–

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित ग्राम एवं माल छैलाबेल तह0 अटरू की भूमि पर वादिया व उसके पति राजमल ने प्रतिवादी क्रम 4 शाखा प्रबंधक दी कोटा सेन्ट्रल को ओपरेटिव

बैंक शाखा अटरू से कृषि ऋण ले रखा है। इसलिये जब तक बैंक का समस्त ऋण मय ब्याज अदा नहीं हो जाता तब तक वादिया माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि जब तक प्रतिवादी कम 4 शाखा प्रबंधक दी कोटा सेन्ट्रल को ओपरेटिव बैंक बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा अटरू का ऋण मय ब्याज अदा नही हो जाता तब तक वादिया को किसी प्रकार की कानूनी सहायता प्रदान नही किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादी कम 5 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र में वर्णित कम सं. 1 में अंकित कथन के जवाब में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार ग्राम छैलाबेल में वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार ख0नं0 191/674 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 242 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 447 रकबा 1.28 है0, ख0नं0 544 रकबा 5.87 है0, ख0नं0 7 रकबा 2.63 है0 कुल किता 6 रकबा 10.12 है0 खातेदार राजमल पुत्र बजरंगलाल हिस्सा 1/2 जाति अहीर रहन एस.बी.आई. अटरू रहन दी कोटा सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि0 अटरू के नाम खाता दर्ज है। वाद पत्र में वर्णित क.सं. 2 में अंकित कथन के जवाब में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार वादी स्वयं साबित करे। मद संख्या 3 ल 10 में वर्णित कथन कानूनी है।

अभिभाषकगण की बहस सुनी अभिभाषक वादिया द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि आपसी सहमति से हुए राजीनामा अनुसार खाता पृथक कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम छैलाबैल की खाता संख्या 111 का ख0नं0 191/674 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 192 का रकबा 0.24 है0, ख0नं0 242 रकबा 0.05 है0 ,ख0नं0 447 रकबा 1.28 है0, ख0नं0 544 रकबा 5.87 है0, ख0नं0 7 रकबा 2.63 है0, कुल किता 6 का कुल रकबा 10.12 है0 भूमि में ज्ञात वादिया संतोष बाई हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है तथा वादिया के पति राजमल हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। राजमल के खाते दर्ज उक्त भूमि को उनके ज्ञात वारिसान यानी [illegible] एव प्रतिवादी कम 1 व 2 अपने नाम दर्ज रिकार्ड कराकर विभाजन करवाने के हकदार है। अतः वादिया अपने हिस्से की भूमि को पृथक से दर्ज रिकार्ड कराने की अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः आपसी सहमति से न्यायहित में वादिया का वाद स्वीकार योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वादिया का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम छैलाबेल की खाता संख्या 111 का ख0नं0 191/674 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 192 का रकबा 0.24 है0, ख0नं0 242 रकबा 0.05 है0 ,ख0नं0 447 रकबा 1.28 है0, ख0नं0 544 रकबा 5.87 है0, ख0नं0 7 रकबा 2.63 है0, कुल किता 6 का कुल रकबा 10.12 है0 में राजीनाम अनुसार खाता पृथक किये जाने के आदेश किये जाते है। उक्त आराजी आपसी सहमति से वादिया व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्नानुसार रहेगी–

1. वादिया संतोष बाई पत्नि स्व0 राजमल जाति अहीर सा. देह के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
544	5.87 है0	बरानी–2	41.09
किता 1	रकबा 5.87		लगान 41.09

2. प्रतिवादी क्रम 1 देवेन्द्र कुमार व प्रतिवादी क्रम 2 सोनाबाई पुत्र/पुत्री राजमल जाति अहीर निवासी सा. देह के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी–

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
191/674	0.05 है0	माल–2	0.50
192	0.24 है0	माल–2	2.40
242	0.05 है0	बरानी उत्तम	0.80
447	1.28 है0	माल–1	15.36
7	2.63 है0	माल–1	31.56
किता 5	4.25 है0		50.62

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजीनामे पर अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:33 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 137/2021

उनवान

1. संतोष बाई आयु 59 वर्ष पत्नि स्व0 राजमल जाति अहीर निवासी छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीया

बनाम

1. देवेन्द्र कुमार आयु 25 वर्ष पुत्र राजमल जाति अहीर निवासी छैलाबेल पोस्ट खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. सोना बाई आयु 28 वर्ष पुत्री राजमल पत्नि अरविन्द जाति अहीर निवासी छैलाबेल हाल निवासी कुन्जैड खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू जिला बारां।
4. शाखा प्रबन्धक महोदय दी कोटा सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा अटरू (बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 शाखा अटरू) जिला बारां राज0
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर.टी.एक्ट.</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X.........................

बहाजिर :–

वादीया :–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीगण :–विद्वान अभिभाषक श्री भगवान दास तिवारी। प्रति0क्रम.1 व 2
विद्वान अभिभाषक श्री हरिश चन्द्र हाडा। प्रति0क्रम 4
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती विवादित आराजी ग्राम छैलाबेल की खाता संख्या 111 का ख0नं0 191/674 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 192 का रकबा 0.24 है0, ख0नं0 242 रकबा 0.05 है0 ,ख0नं0 447 रकबा 1.28 है0, ख0नं0 544 रकबा 5.87 है0 [illegible] रकबा 2.63 है0, कुल किता 6 का कुल रकबा 10.12 है0 में राजीनाम अनुसार खाता पृथक किये जाने के आदेश [illegible] जाते है। उक्त आराजी आपसी सहमति से वादिया व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के हिस्से एवं [illegible] रहेगी–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:33 IST
Reason: SelfAttested

1. वादिया संतोष बाई पत्नि स्व0 राजमल जाति अहीर सा. देह के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
544	5.87 है0	बरानी–2	41.09
किता 1	रकबा 5.87		लगान 41.09

2. प्रतिवादी क्रम 1 देवेन्द्र कुमार व प्रतिवादी क्रम 2 सोनाबाई पुत्र/पुत्री राजमल जाति अहीर निवासी सा. देह के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी–

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
191/674	0.05 है0	माल–2	0.50
192	0.24 है0	माल–2	2.40
242	0.05 है0	बरानी उत्तम	0.80
447	1.28 है0	माल–1	15.36
7	2.63 है0	माल–1	31.56
किता 5	4.25 है0		50.62

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 13.09.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:33 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:33 IST
Reason: SelfAttested